सराहनीय कार्य
दिनांक 28.09.2019
पुलिस अधीक्षक कार्यालय मीडिया सेल गोण्डा

वाहन चोरो के गिरोह का पर्दाफाश, मास्टरमांइड सहित 02 अभियुक्त गिरफ्तार, चोरी की मोटरसाईकिलें बरामद–

गिरफ्तार अभियुक्त–
01. शिवम तिवारी पुत्र सुनील कुमार नि0 पिपरी मॉझा थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।
02. दद्दन चौधरी उर्फ शत्रोहन चौधरी पुत्र बद्री प्रसाद नि0 बनगॉव डीहा थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–
01. मु0अ0सं0–747/19 धारा 411.413.419.420.467.468.471 भादवि थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

बरामदगी–
01. 08 अदद चोरी की मोटरसाईकिले बरामद।

संक्षिप्त विवरण–
जनपद में वाहन चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने व अनावरण हेतु पुलिस अधीक्षक गोण्डा राज करन नय्यर द्वारा जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों व स्वाट/सर्विलांस टीम को निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना को0 नगर व स्वाट/सर्विलांस की संयुक्त टीम ने दिनांक 27.09.2019 को मुखबिर की सूचना पर 02 व्यक्तियों 01. शिवम तिवारी पुत्र सुनील कुमार नि0 पिपरी मॉझा थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा, 02. दद्दन चौधरी उर्फ शत्रोहन चौधरी पुत्र बद्री प्रसाद नि0 बनगॉव डीहा थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा को 01 अदद चोरी की मोटरसाईकिल व चोरी करने के उपकरण के साथ गिरफ्तार किया गया, पूछताछ में पकड़े गये दोनो अभियुक्तों द्वारा जनपद गोण्डा में कई स्थानों से मोटरसाईकिल चोरी करने तथा उनकी बिक्री करने की बात को स्वीकार किया गया। पकड़े गये अभियुक्तों की निशानदेही पर 07 अन्य चोरी की मोटरसाईकिले बरामद की गयी। अभियुक्तगणों के विरूद्ध गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना को0 नगर में मु0अ0सं0–747/19 धारा 411.413.419.420.467.468.471 भादवि के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार कर्ता टीम–
01. आलोक राव प्रभारी निरीक्षक को0 नगर
02. अतुल चतुर्वेदी प्रभारी स्वाट/सर्विलांस
03. उ0नि0 चन्द्र प्रकाश सिंह चौकी प्रभारी बडगॉव।
04. उ0नि0 नीरज सिंह, उ0नि0 गोपाल सिंह, उ0नि0 राकेश ओझा, उ0नि0 नीरज कुमार सिंह।
05. हेड का0 श्रीनाथ शुक्ला।
06. का0 मुलायम यादव।
07. का0 अजीत कुमार चन्द्र।
08. का0 राजेन्द्र यादव।
09. का0 अमित कुमार यादव।
10. का0 आदित्य कुमार पाल।
11. का0 रामप्रताप मौर्या।
12. का0 राजू कुमार सिंह, का0 अमितेश सिंह, का0 हृदय नारायण दीक्षित (सर्विलांस सेल)।
13. का0 राकेश सिंह, का0 आनन्द कुमार थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

प्रेस नोटः–

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक– 28.09.2019

पैदल गश्त अभियानः–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा चलाये जा रहे पैदल गश्त अभियान के तहत जनपदीय पुलिस के सभी प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष द्वारा अपने–अपने थाना क्षेत्रों में अलग–अलग टीम बनाकर पैदल गस्त अभियान को जारी रखते हुए दुकानदारों, व्यापारियों तथा आम जनता से सम्पर्क स्थापित किया गया तथा उनकी समस्या सुनी गयी। कस्बा में स्थित चौराहों, सड़क की पटरियों, भीड़–भाड़ वाले स्थानों को अतिक्रमण मुक्त करने में पुलिस का सहयोग करने को कहा गया जिससे चौराहों व भीड़–भाड़ वाले स्थानों पर यातायात सुगम हो सके। अतिक्रमण करने वाले व्यक्तियों के विरूद्व विभिन्न थाना क्षेत्रों में कार्यवाही करते हुए **290 भादवि में 60 व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही की गयी।**

शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही–:

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से **कुल–22 व्यक्तियों को अर्न्तगत धारा–151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।**

वारण्टी अभियुक्तों के विरूद्ध पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही–

गोण्डा। वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान में जनपद गोण्डा के थानों द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही–:

01. थाना को0 देहात द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. श्रीराम पुत्र साहब बक्स नि0 भुलभुलिहया हाता थाना को0 देहात जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0– 327/19, धारा 60/60(2) आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

दुष्कर्म करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार–

गोण्डा। शुक्रवार जनपद गोण्डा के थाना उमरीबेगमगंज पुलिस ने दुष्कर्म करने के आरोपी अभियुक्त शिवकुमार पुत्र झब्बर नि0 अकौनी पूरे रैकवार थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा को थाना उमरीबेगमगंज में पंजीकृत मु0अ0सं0–193/19, धारा 376.506 भादवि के तहत किया गिरफ्तार।

दिनांक 19.09.2019 को उक्त अभियुक्त ने थाना उमरीबेगमगंज क्षेत्र की रहने वाली एक महिला के साथ शौच के दौरान जबरन दुष्कर्म किया था व जान से मारने की धमकी भी दी थी। जिसके सम्बन्ध में पीड़िता ने थाना उमरीबेगमगंज में उक्त अभियुक्त के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कराया था। जिसमें उमरीबेगमगंज पुलिस ने आज दिनांक 28.09.2019 को मुखबिर की सूचना पर उक्त आरोपी अभियुक्त को अकौनी चौराहा के आगे कर्बला के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

तीन तलाक का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार–

गोण्डा। शनिवार जनपद गोण्डा के थाना को0 मनकापुर पुलिस ने तीन तलाक के वांछित अभियुक्त अकमल पुत्र रोशन अली नि0 ग्राम गोहन्ना थाना को0 मनकापुर जनपद गोण्डा को थाना को0 मनकापुर में पंजीकृत मु0अ0सं0–374/19, धारा 498ए.323.506 भादवि व 3/4 डी0पी0एक्ट व 3/4 मुस्लिम महिला(विवाह पर अधिकारों की सुरक्षा अधिनियम 2019) के तहत गिरफ्तार किया गया।

उक्त अभियुक्त द्वारा वादिनी खुशबू निशा पुत्री अब्दुल रहीम को दहेज की बात को लेकर प्रताड़ित करते हुए जानमाल की धमकी देने व तीन बार तलाक–तलाक कह कर तलाक दे देने के सम्बन्ध में वादिनी द्वारा थाना को0 मनकापुर में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। जिसमें को0 मनकापुर पुलिस ने आज दिनांक 28.09.2019 को उक्त आरोपी अभियुक्त को मुखबिर की सूचना पर तीन खान मसकनवॉ रोड से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड व जानमाल की धमकी देने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार–

गोण्डा। शनिवार जनपद गोण्डा के थाना इटियाथोक पुलिस ने छेड़छाड व जानमाल की धमकी देने के आरोपी अभियुक्त असलम पुत्र रोजअली नि0 अयाहा थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा को थाना इटियाथोक पर पंजीकृत मु0अ0सं0–285/19, 354ए, 323. 504 भादवि व 7/8 पाक्सो के तहत गिरफ्तार किया गया।

उक्त अभियुक्त ने दिनांक 23.09.2019 को थाना इटियाथोक क्षेत्र की रहने वाली एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड किया था। लड़की द्वारा विरोध करने पर उक्त अभियुक्त ने लड़की को लात–मुक्का थप्पड़ से मारते–पीटने हुए गाली–गुप्ता दिया था। जिसके सम्बन्ध में पीड़िता द्वारा थाना इटियाथोक में उक्त अभियुक्त के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया था। जिसमें इटियाथोक पुलिस ने कार्यवाही करते हुए उक्त आरोपी अभियुक्त को आज दिनांक 28.09.2019 को मुखबिर की सूचना पर उसके घर से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

नाजायज चाकू के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार–

गोण्डा। अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत थाना परसपुर ने नाजायज चाकू के साथ अभियुक्त शिवा चौहान पुत्र शंकर चौहान नि0 दुबाईडीहा थाना परसपुर जनपद गोण्डा को 01 अदद नाजायज चाकू के साथ किया गिरफ्तार।

थानाध्यक्ष परसपुर ने बताया कि उक्त अभियुक्त को गस्त के दौरान धर्म कांटा पुलिया के पास से गिरफ्तार कर थाना परसपुर में मु0अ0सं0–257/19 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

विवेचनाओं का निस्तारण–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा गुण–दोष के आधार पर विवेचना की कार्यवाही करते हुए कुल–44 विवेचनाओं का निस्तारण किया गया।